प्रेस नोट जनपद फतेहपुर

दिनांक 02.08.2025

थाना हथगांव पुलिस द्वारा हत्या, बलवा व मारपीट से संबंधित 06 शातिर अपराधियों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट के तहत की गयी कार्यवाही –

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद फतेहपुर श्री अनूप कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाये रखने हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना हथगांव पुलिस द्वारा समाज विरोधी क्रिया कलापों में लिप्त 06 शातिर अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 2/3 उ0प्र0गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। इस कार्यवाही से अपराध व आपराधिक गतिविधियों मे अंकुश लगेगा।

थाना हथगांव

बलवा व मारपीट सहित हत्या के जैसे गंभीर अपराधों में संलिप्त रहकर धनार्जन करने वाले गिरोह के विरुद्ध दिनांक 01.08.2025 को थाना हथगांव पर मु0अ0सं0- 152/2025 धारा 2/3 उ0प्र0गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप (निवारण) अधिनियम 1986 बनाम निम्नोक्त पंजीकृत कराया गया व इनके अवैध क्रिया कलापों से अर्जित की गयी सम्पूर्ण सम्पत्ति को धारा 14(1) गैगेस्टर एक्ट के तहत जब्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

क्र0सं0	अभियुक्त का नाम	पंजीकृत गैंग	कुल पंजीकृत अभियोग की संख्या
1.	सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू पुत्र स्व0 रामआसरे सिंह उम्र 60 वर्ष निवासी अखरी थाना हथगांव जनपद फतेहपुर (गैग लीडर)	**हत्या व बलवा से सम्बंधित गैंग D-94/25**	**13**
2.	पीयूष सिंह पुत्र सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू सिंह उम्र करीब 36 वर्ष निवासी ग्राम अखरी थाना हथगाँव जनपद फतेहपुर	**हत्या व बलवा से सम्बंधित गैंग D-94/25**	**6**
3.	भूपेन्द्र सिंह पुत्र सुरेश सिंह उर्फ मुन्नू सिंह उम्र 34 वर्ष निवासी ग्राम अखरी थाना हथगाँव जनपद फतेहपुर	**हत्या व बलवा से सम्बंधित गैंग D-94/25**	3
4.	सज्जन सिंह पुत्र राजेंद्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम अखरी थाना हथगांव जनपद फतेहपुर उम्र करीब 38 वर्ष	**हत्या व बलवा से सम्बंधित गैंग D-94/25**	5
5.	ज्ञान सिंह उर्फ विपुल पुत्र सुरेश भदौरिया उम्र करीब 28 वर्ष निवासी ग्राम अखरी थाना हथगाँव जनपद फतेहपुर	**हत्या व बलवा से सम्बंधित गैंग D-94/25**	2
6.	विवेक कुमार उर्फ पाठक पुत्र कालिका उर्फ कल्लू पासी उम्र करीब 26 वर्ष निवासी ग्राम ताहिरापुर थाना हथगाँव जनपद फतेहपुर	**हत्या व बलवा से सम्बंधित गैंग D-94/25**	2

सोशल मीडिया सेल
जनपद फतेहपुर।